



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19, 1983/फाल्गुन 28, 1904
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19, 1983/PHALGUNA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
संकल्प

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1983

विषय —व्यापार संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का गठन—
अवधि का बढ़ाया जाना ।

सं. 3(1)/80-ई.पोल.—दिनांक 30 अप्रैल, 1981, 6 जुलाई, 1981 तथा 2 अप्रैल, 1982 के समसंख्यक संकल्पों के साथ पठित दिनांक 16 मार्च, 1981 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने 13 मार्च, 1981 से दो वर्ष के लिए व्यापार संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया था ।

2. इस परिषद् की अवधि 31-3-1983 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है । दिनांक 16 मार्च, 1981 के संकल्प के पैरा 3 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाए :—

“3 केन्द्रीय सलाहकार परिषद् में 33 सदस्य होंगे जैसा कि अनुबंध में दिखाया गया है । इसकी अध्यक्षता वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री अध्यक्ष के रूप में और उनकी अनुपस्थिति में वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री/उप मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में करेंगे ।

परिषद् के सदस्य 13 मार्च, 1981 से 31-3-1983 तक की अवधि के लिए पद पर रहेंगे ।”

3. उपर्युक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुबंध में श्रेणी 1 के अधीन क्रमांक 1 तथा 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को भी निम्नोक्त प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

1. वाणिज्य मंत्री —अध्यक्ष
2. वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री/उप मंत्री —उपाध्यक्ष

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री के कार्यालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा भारत की सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सी. बेकटरामन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 19th March, 1983

Subject.—Central Advisory Council on Trade—Extension of term—regarding.

No. 3(1)/80-E. POL.—Under Resolution of even number dated 16th March, 1981 read with Resolutions of even number dated 30th April, 1981, 6th July, 1981 and 2nd April, 1982, the Government in the Ministry of Commerce had re-constituted the Central Advisory Council on Trade for a period of 2 years with effect from 13th March, 1981.

2. It has been decided to extend the term of the Council upto 31st March, 1983. Para 3 of the Resolution dated the 16th March, 1981, may accordingly be substituted as follows :—

"3. The Central Advisory Council will consist of 33 members as shown in the annexure. It will be presided over by the Minister of Commerce as Chairman and in his absence by the Minister of State/Deputy Minister in the Ministry of

Commerce as Vice-Chairman. The Members of the Council will hold office from 13th March 1981 to 31st March 1983".

3. The existing entries at S. No. 1 and 2 under category 1 in the annex. to the above mentioned resolution may also be substituted as follows :—

- (1) Minister of Commerce—Chairman
- (2) Minister of State/Deputy Minister in the Ministry of Commerce —Vice-Chairman

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Chairman, Vice-Chairman, Members of the Council, Private Secretary and Military Secretary to the President, Prime Minister's Office, Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. VENKATARAMAN, Addl. Secy.